fssai भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण
विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

तुरंत जारी करने के लिए

प्रेस विज्ञप्ति

अखिल भारतीय व्याप्ति के लिए एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा 10 नए कार्यालय स्थापित करने का निर्णय

नई दिल्ली, **फरवरी** 17, 2020**:** एफ.एस.एस.ए.आई ने देश में 6 नए शाखा कार्यालय, 4 नए आयात कार्यालय और 2 नई खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एफ.एस.एस.ए.आई के नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 12 शाखा कार्यालय और 6 आयात कार्यालय हो जाएँगे। इनके अतिरिक्त इसकी कोलकाता, गाजियाबाद (दिल्ली एनसीआर), मुंबई जेएनपीटी और चेन्नई में चार राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ और भारत-पाकिस्तान सीमा पर सनौली तथा रक्सौल में दो खाद्य प्रयोगशालाएँ होंगी।

एफ.एस.एस.ए.आई के नए शाखा कार्यालय भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बेंगलुरू, विशाखापटनम् और हैदराबाद में होंगे और नए आयात कार्यालय अटारी, कांडला, रक्सौल और कृष्णापटनम् में होंगे। एफ.एस.एस.ए.आई मुंबई जेएनपीटी और चेन्नई में दो नई खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित कर रही है। इस प्रयोजन के लिए चेन्नई और जेएनपीटी मुंबई पत्तन प्राधिकरणों से निर्मित जगह लंबी अवधि के पट्टे पर ली जा रही है।

एफ.एस.एस.ए.आई ने हाल ही में अपनी गाजियाबाद स्थित खाद्य प्रयोगशाला का उन्नयन किया है। इसे अब पीपीपी मोड में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। कोलकाता खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयन का कार्य उन्नत अवस्था में है और इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। एफ.एस.एस.ए.आई की भारत-पाकिस्तान सीमा पर सनौली और रक्सौल में प्रयोगशाला विस्तार कंद्रों को स्वतंत्र खाद्य प्रयोगशाला बनाकर उन्हें सशक्त करने की योजना भी है।

गाजियाबाद में एफ.एस.एस.ए.आई के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए श्रीमती रीता तेवतिया, अध्यक्ष ने कहा कि एफ.एस.एस.ए.आई के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं को बढ़ाने का प्रयोजन इसकी पूरे भारत में व्याप्ति सुनिश्चत कराना है। इससे एफ.एस.एस.ए.आई को अपनी निरीक्षण और प्रवर्तन गतिविधियों को सशक्त बनाने और आयातित खाद्य पर बेहतर

नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी। नए कार्यालयों के स्थान का निर्णय विभिन्न स्थानों पर खाद्य आयात तथा केंद्रीय लाइसेंसिंग के कार्यभार को ध्यान में रखकर लिया गया है। नए कार्यालयों के लिए स्थान ढूँढ़ने का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

सरकार ने एफ.एस.एस.ए.आई की हाल ही में उदारतापूर्वक सहायता की है। इसकी निधि को पाँच गुणा बढ़ाया गया है। 500 नए पद बनाए गए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण की भर्तियाँ होने वाली हैं। भर्ती प्रक्रिया में उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों ने रुचि दर्शाई है, जिनमें कार्पोरेट जगत के वे अधिकारी भी शामिल हैं जो एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा प्रस्तावित वेतन से कई गुणा ज्यादा वेतन ले रहे हैं।

संगठन में कार्य की अच्छी संस्कृति बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने लक्ष्य-आधारित कार्यकारिता प्रबंधन प्रणाली अपनाई है। इस प्रणाली के सृजन का प्रयोजन है कि कर्मचारी और टीमें अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें और संगठन के वृहतर उद्देश्य को प्राप्त करने में अपने योगदान की भूमिका को पहचानें। नई प्रणाली के तहत हर व्यक्ति की अलग-अलग जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है, अच्छा कार्य करने वालों को लाभ देने की व्यवस्था है और औसत से नीचे कार्य करने वालों के कार्य में सुधार की योजना भी शामिल है।

नई प्रणाली की मुख्य विशेषता है कि इसमें एक व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन की बजाय समिति द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया है। यह उच्च परिणाम लाने वाले संगठनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार है। इससे वस्तुपरकता और पारदर्शिता आएगी और कार्यकारिता मूल्यांकन में व्यक्तिगत द्वेषों से बचा जा सकेगा। संगठन के सभी कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके कार्य की मात्रा, संगठन की संस्कृति के साथ उनकी संलयनता और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर किया जाएगा।

पिछले 4 वर्षों में एफ.एस.एस.ए.आई ने नए ध्येयों के साथ एक सशक्त सार्वजनिक संस्थान का निर्माण करने के एक असाधारण पथ को अपनाया किया है। इसने विनियामक की विवादास्पद भूमिका की जगह योग्यताकारी की भूमिका अपनाई है तथा 'ईट राइट इंडिया' अभियान के तहत खाद्य प्रणालियों का नजरिया अपनाया (जो विश्व के शेष देशों से बहुत पहले अपनाया गया)।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मन की बात' में 30 दिसंबर, 2018 को एफ.एस.एस.ए.आई के कायांतरण के वर्णन से इसे प्रशस्ति के नए मान मिले।

पिछले 4 वर्षों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने कहा कि अभी बहुत सा कार्य करना बाकी है। उन्होंने बताया कि *"देश में खाद्य सुरक्षा और पोषण के सभी मुद्दों पर ध्यान देकर अब समस्या का सही निदान कर लिया गया है और सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों का व्यापक स्तर पर समाधान करने के लिए उचित उपचार की प्रणाली उपलब्ध है।"*

स्टाफ की संख्या पर बोलते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने बताया कि हालांकि एफ.एस.एस.ए.आई में उतनी स्टाफ संख्या नहीं है, जितनी विदेशी सरकारी संस्थाओं में है, फिर भी एफ.एस.एस.ए.आई में उच्च योग्यता प्राप्त और कर्मठ लोगों की टीमें है, जो कम संसाधनों से ज्यादा परिणाम देने में समर्थ हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने कारोबारों और उपभोक्ता संगठनों के साथ काम करते हुए और उनका भरोसा जीतकर शासन के अनेक पहलुओं को बदलकर रख दिया है।

एफ.एस.एस.ए.आई ने एक बहुत अच्छा कार्यस्थल बनाया हुआ है, जिसमें इसकी बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों के लिए आधुनिक डे-केअर सेंटर, तथा सुसज्जित आरोग्यता केंद्र और अच्छे कैफेटीरिया की सुविधा है। ये सुविधाएँ न केवल एफ.एस.एस.ए.आई के अपने स्टाफ के लिए उपलब्ध हैं, बल्कि आस-पास के कर्मचारियों के लिए भी हैं। मल्टी-मीडिया सुविधा वाला एफ.एस.एस.ए.आई का एक्सपीरियंस जोन और वर्चुअल रीअलिटी एक्सपीरियंस पूरे विश्व के सरकारी कार्यालयों में एक अनूठा अनुभव है।

श्री पवन अग्रवाल, जो शीघ्र ही उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के रूप में कार्य-ग्रहण करने वाले हैं, ने कहा कि *"खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण जैसी सरकारी संस्था का निर्माण कोई लघु दौड़ न होकर एक लंबी दौड़ है। कभी-कभी हम औरों से धीमे दिखाई दे सकते हैं, परंतु अंततः हमें आगे ही बढ़ना है। इस उद्देश्य के साथ एफ.एस.एस.ए.आई ने परस्पर सहयोग, अंतर-विषयक नजरिया, विविधता, श्रेष्ठता, समभाव, सामाजिक चेतना, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और अल्प कालीन लक्ष्यों की बजाय दीर्घकालीन नजरिया अपनाने की ठोस संस्कृति का निर्माण किया है।*

पिछले 4 वर्षों के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई की सरकार, सिविल सोसायटी, सीएजी और संसदीय समितियों द्वारा गहन समीक्षा की गई। इसी के साथ एफ.एस.एस.ए.आई लोगों की नजरों में व्यापक रूप से आई। एफ.एस.एस.ए.आई ने उपभोक्ताओं का विश्वास जीता, क्योंकि वे एफ.एस.एस.ए.आई को एक ऐसा संगठन मानते हैं जो अपने ध्येय के प्रति पूरी तरह समर्पित है जो "सुनने और सीखने वाला संगठन" है और जो खतरे उठाने से नहीं डरता। वक्तव्य का समापन करते हुए श्री पवन अग्रवाल ने कहा कि 'गहन समीक्षा, व्यापक दृश्यमानता और पूरी कर्मठता से एफ.एस.एस.ए.आई एक बेहतर सरकारी संस्था बन पाई है और एक ऐसी आदर्श रेग्युलेटर बनी है जिसका विश्व के अन्य देश भी अनुसरण कर सकते हैं।'

मीडिया पूछताछ के लिए संपर्क करें :

रुचिका शर्मा,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
E: sharmaruchika.21@gmail.com

एफ.एस.एस.ए.आई कार्यालयों की सूची

क्रम सं0	क्षेत्रीय कार्यालय	शाखा कार्यालय/आयात कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली शाखा कार्यालय	दिल्ली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
2		चंडीगढ़ शाखा कार्यालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचलन प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़
3.		भोपाल शाखा कार्यालय	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
4.		अटारी पोर्ट कार्यालय	-
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	मुंबई शाखा कार्यालय	गोआ, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमण और दीव
6.		अहमदाबाद शाखा कार्यालय	गुजरात और राजस्थान
7.		मुंबई जेएनपीटी पोर्ट कार्यालय	-
8.		कांडला पोर्ट कार्यालय	-
9.	दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	चेन्नई शाखा कार्यालय	तमिल नाडु, पुदुचेरी
10.		बेंगलुरू शाखा कार्यालय	कर्नाटक
11.		हैदाराबाद शाखा कार्यालय	तेलंगाना
12.		विशाखापटनम् शाखा कार्यालय	आंध्र प्रदेश
13.		कोचीन शाखा कार्यालय	केरल, लक्षद्वीप
14.		टुटिकोरिन पोर्ट कार्यालय	-
15.		कृष्णपटनम् पोर्ट कार्यालय	-
16.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	कोलकाता शाखा कार्यालय	पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, अंडेमान और निकोबार द्वीप
17		गुवाहाटी शाखा कार्यालय	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्कम और त्रिपुरा
18		रक्सौल पोर्ट कार्यालय	-